महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।

पत्रांक/शिविर/ 4613-54 /2013–14 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013

विषय :– **अपने मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र सम्बद्ध शिक्षकों–कर्मचारियों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 के प्रस्तर–14 में निम्नलिखित प्रावधान है :–

14(1) कोई भी अध्यापक अपने मूल तैनाती के विद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी विद्यालय अथवा कार्यालय में व्यवस्था/सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से पूर्व के सभी व्यवस्थायें/सम्बद्धतायें निमयावली प्रख्यापन की तारीख से स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि किसी एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत किसी एकल अध्यापकीय विद्यालय में कार्यरत किसी अध्यापक की आकस्मिक मृत्यु के कारण, दीर्घावकाश पर जाने के कारण, पदोन्नति होने के कारण अथवा महिला शिक्षिका के बाल्य देखभाल अवकाश/प्रसूति अवकाश पर जाने के कारण व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पड़ती है तो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी से उक्त व्यवस्था का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

14(2) व्यवस्था केवल निकटस्थ विद्यालयों में उपलब्ध अध्यापकों से ही की जा सकेगी। किसी भी दशा में Y क्षेत्र से X क्षेत्र में व्यवस्था नहीं की जा सकेगी :

परन्तु यह कि किसी विद्यालय में विद्यालय संचालन हेतु की गई व्यवस्था इस सन्दर्भ में सम्बद्धीकरण नहीं मानी जायेगी।

उक्त के अनुपालन एवं शासन के पत्र संख्या –2077/चौबीस–2–2013–25(07)/2012 दिनांक 03 सितम्बर, 2013 के कम में **महानिदेशालय के पत्र दिनांक 7, 18, 24 व 28 सितम्बर, 2013 द्वारा** अपने मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र सम्बद्ध शिक्षक–कर्मियों को मूल तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त करते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु

निर्देश दिये गये थे कि अब उनके जनपद/कार्यालय में कोई शिक्षक–शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध नहीं है, जिसके कम में महानिदेशालय का अद्यतन निम्न सूचना/प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं :–

क्र. सं.	प्रमाण पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी का पदनाम	पत्र/प्रमाण पत्र में उल्लिखित विवरण	अभ्युक्ति
		प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय	
1	अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड	प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून में कोई भी शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध नहीं है।	किन्तु जनपद, खण्ड व विद्यालयों में सम्बद्ध शिक्षक व कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है न ही कोई प्रमाण पत्र दिया गया है।
2	अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल	कार्यालय में सम्बद्ध कर्मचारियों को पूर्व में कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा वर्तमान में कोई भी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध अथवा कार्य व्यवस्था पर नहीं है	
3	अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल	अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व प्रारभिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल कार्यालय में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध नहीं किया गया है	
		अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय	
1	अपर निदेशक, सीमैट	सीमैट में परिचारक के दो पद ही स्वीकृत व कार्यरत हैं। वर्तमान में अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय में स्वीकृत परिचारक के दो पदों पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत न होने के कारण श्री अशोक भट्ट, परिचारक को शासकीय कार्य सम्पादन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया गया है। निदेशालय में स्थाई परिचारक उपलब्ध हो जाने पर श्री भट्ट को तत्काल कार्यमुक्त किया जायेगा। साथ ही प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस कार्यालय/संस्थान में अब कोई भी शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध नहीं है। जो भी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस कार्यालय/संस्थान में सम्बद्ध थे, उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है।	किन्तु प्रमाण पत्र में अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय व एस.सी.ई.आर.टी. का कोई उल्लेख नहीं है।
		माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	
1	अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल	अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व प्रारभिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल कार्यालय में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध नहीं किया गया है	
2	अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल	कार्यालय में सम्बद्ध/कार्य व्यवस्था पर रोके गये कार्मिकों को उनके मूल विद्यालय /कार्यालय हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा वर्तमान समय में इस कार्यालय में कोई भी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध/कार्य व्यवस्था पर कार्यरत नहीं है।	

क्र. सं.	प्रमाण पत्र निर्गतकर्ता अधिकारी का पदनाम	पत्र/प्रमाण पत्र में उल्लिखित विवरण	अभ्युक्ति
3	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी	जनपद उत्तरकाशी में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कोई भी प्रवक्ता, स.अ.एल.टी. अन्य विद्यालयों एवं कार्यालयों में सम्बद्ध नहीं है, यह प्रमाण पत्र विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।	**शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व प्रारम्भिक शिक्षकों के सम्बद्धीकरण पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।**
4	मुख्य शिक्षा अधिकारी, रूद्रप्रयाग	जनपद में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत नवीन उच्चीकृत विद्यालयों में विद्यालय संचालन/ व्यवस्था पर अध्यापकों को भेजा गया है, जिसे कार्यालय के आदेश दिनांक 20 जून, 2013 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।	**शिक्षणेत्तर कर्मचारियों व प्रारम्भिक शिक्षकों के सम्बद्धीकरण पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। साथ ही प्रमाण पत्र के ऊपर प्रारूप पर वर्तमान में 10 शिक्षकों को सम्बद्ध दिखाया गया है, जबकि कार्यमुक्त शिक्षकों की संख्या के कॉलम में डैस (–) किया गया है।**
5	मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत	मु.शि.अ. ने जि.शि.अ. बेसिक से सम्बद्धीकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अप्राप्त बताया गया है, जबकि जि.शि.अ. माध्यमिक का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कोई भी प्रवक्ता/सहायक अध्यापक अपने मूल विद्यालय से अन्यत्र सम्बद्ध नहीं है।	**प्रमाण पत्र में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का उल्लेख नहीं किया गया है।**
6	मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर	जनपद बागेश्वर में शिक्षक विहीन विद्यालयों में क्षेत्रीय जनता द्वारा व्यक्त किये जा रहे आक्रोश एवं किये जा रहे आन्दोलन के मध्यनजर जिलाधिकारी की अनुमति से कक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु कार्य व्यवस्था पर भेजा गया है न कि सम्बद्ध किया गया है, के अतिरिक्त किसी भी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी कहीं भी अन्यत्र सम्बद्ध नहीं किया गया है।	
7	मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी	जनपद टिहरी में जूनियर से हाईस्कूल में उच्चीकृत विद्यालयों में कार्य संचालन हेतु अध्यापकों को कार्योजित किया गया है एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षक विहीन विद्यालयों में एवं मानक से अधिक शिक्षकों को अधिक आवश्यकता वाले विद्यालयों में कार्योजित किया गया है। इनके अतिरिक्त कोई भी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध नहीं है।	

उक्त के अतिरिक्त अन्य जनपदों की सूचना अप्राप्त है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में सम्बद्ध शिक्षकों–कर्मियों के सम्बन्ध में भी प्रमाण पत्र अप्राप्त है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 के प्रस्तर–14 में उल्लिखित प्रावधान व राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में व्यवस्था के तहत तैनात शिक्षकों को छोड़कर अन्य समस्त सम्बद्ध शिक्षकों–शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को **तीन दिन के अन्दर** अपने मूल तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त करते हुये **स्वंय इस आशय का स्पष्ट प्रमाण पत्र** अनिवार्य रूप में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि अब उनके कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में कोई भी शिक्षक–शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध नहीं है। **प्रकरण पर अब किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।**

भवदीय,

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./शिविर/ 4613-54 /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ कि नियमावली में उल्लिखित प्रावधान व राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में की गई व्यवस्था को छोड़, अन्य समस्त सम्बद्ध शिक्षकों–शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अपने मूल तैनाती स्थल हेतु कार्यमुक्त करते हुये **स्वंय इस आशय का प्रमाण पत्र** अनिवार्य रूप में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि अब उनके कार्यालय/मण्डल/जनपद में कोई भी शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध नहीं है :–

1. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
2. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
3. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
4. अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड।
5. परियोजना प्रबन्धक, राज्य साक्षरता मिशन उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त प्राचार्य, डायट/डी.आर.सी., उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
10. प्रभारी, एम.आई.एस. को इस निर्देश के साथ कि इस पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड